रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 422] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 2, 2015/आषाढ़ 11, 1937
No. 422] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 2, 2015/ASHADHA 11, 1937

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2015

सा.का.नि. 528(अ).—केन्द्रीय सरकार ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 (2001 का 52) की धारा 14क और धारा 14ख की उपधारा (i) धारा 14 के खंड (छ) और (ण) के साथ पठित धारा 56 की उपधारा 2 के खंड (च). खंड (छ). खंड (ट). खंड (ठ.क.) और खंड (ठ.क.क.) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा संरक्षण अभिहित उपभोक्ताओं के लिए (ऊर्जा खपत, सन्नियम और मानक, प्ररूप, समय, जिसके भीतर तैयार करने की रीति और कार्यान्वयन करना, ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया और खपत की गई ऊर्जा के समतुल्य मीटरी टन तेल का मूल्य) नियम, 2012 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा संरक्षण अभिहित उपभोक्ताओं के लिए (ऊर्जा खपत सन्नियम और मानक, प्ररूप, समय, जिसके भीतर तैयार करने की रीति और कार्यान्वयन करना, ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया और खपत की गई ऊर्जा के समतुल्य मीटरी टन तेल का मूल्य) नियम, 2012 संशोधन नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. ऊर्जा संरक्षण (ऊर्जा खपत सन्नियम और मानक, प्ररूप, समय, जिसके तैयार करने की रीति और क्रियान्वयन करना, ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया और खपत की गई ऊर्जा के समतुल्य मीटरी टन तेल का मूल्य) नियम, 2012 में (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कथित नियम कहा गया है), नियम 6 में, उप-नियम 1 के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1क) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि यह लोक हित में आवश्यक और समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा उक्त आदेश में, ब्यूरो के परामर्श से, विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों के अध्यधीन नाम अभिहित उपभोक्ताओं के वर्ग द्वारा

कार्यनिष्पादन मूल्यांकन प्रलेख को प्रस्तुत करने के लिए उपनियम (1) में निर्धारित समयावधि को अनधिक दो माह के लिए बढ़ा सकती है।"

[फा. सं. 10/6/2008-ईसी]

सतीश कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :- मूल नियम, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखण्ड (i) अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 269(अ) तारीख 30 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2015

G.S.R. 528(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (f), (g), (k), (la)and (laa) of sub-section (2) of section 56, read with clauses (g) and (o) of section 14, sub-section (1) of Section 14A and section 14B of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government hereby makes the following rules, to amend the Energy Conservation (Energy Consumption Norms and Standards for Designated Consumers, Form, Time within which, and Manner of Preparation and Implementation of Scheme, Procedure for Issue of Energy Savings Certificate and Value of Per Metric Ton of Oil Equivalent of Energy Consumed) Rules, 2012, namely:—

1. (1) These Rules may be called the Energy Conservation (Energy Consumption Norms, Form, Time within which, and Manner of Preparation and Implementation of Scheme, Procedure for Issue of Energy Savings Certificate and Value of Per Metric Ton of Oil Equivalent of Energy Consumed) Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Energy Conservation (Energy Consumption Norms and Standards for Designated Consumers, Form, Time within which, and Manner of Preparation and Implementation of Scheme, Procedure for Issue of Energy Savings Certificate and Value of Per Metric Ton of Oil Equivalent of Energy Consumed) Rules, 2012 in rule 6, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(1A) If the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, it may, by order, in consultation with the Bureau and subject to such conditions as may be specified in the said order, extend the time specified in sub-rule (1) for submission of Performance assessment document by class of designated consumers, for a period not exceeding two months."

[F. No. 10/6/2008-EC]

SATISH KUMAR, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 269(E) dated the 30th March, 2012.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.